वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग : संयुक्त प्रयासों का महत्व*

या.वे.रेड्डी

बैंकिंग जगत से आए दोस्तों के बीच यहां उपस्थिति होकर, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वस्तुतः यहां होना बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) की मेरी वार्षिक धार्मिक यात्रा का एक भाग है। सर्वप्रथम, अपने मिशन को विशिष्टता के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं आइडीआरबीटी की संचालन परिषद, संकाय सदस्यों और स्टाफ को शुभकामनाएं देना चाहूंगा ।

बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को भारी स्तर पर शुरु करने की नींव 1984 और 1989 में डा.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समितियों की सिफारिशों द्वारा डाली गई। बाद में 1994 में रिज़र्व बैंक ने ''बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उन्नयन'' विषय पर समिति का गठन किया। उक्त समिति ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान के लिए एक स्वायत्त संस्थान की स्थापना की सिफारिश के साथ-साथ भुगतान प्रणालियों पर अनेक सिफारिशें कीं। आईडीआरबीटी की स्थापना उसी के परिणामस्वरुप हुई। संस्थान ने इंडियन फाईनेंसियल नेटवर्क (इन्फिनेट) की स्थापना की और अब वह उसका संचालन करता है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करता है तथा बैंकिंग क्षेत्र के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के अलावा परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है।

आज के अपने भाषण में मैं दक्षता, स्थिरता, प्रतिस्पर्धा और सबसे ऊपर आम आदमी को सेवा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने में संयुक्त प्रयासों की जरुरत को रेखांकित करना चाहूंगा ।

प्रौद्योगिकी और भारिबैंक

मैं रिज़र्व बैंक द्वारा की गईं कुछ प्रौद्योगिकी की पहलों को आपकी जानकारी के लिए गिनाना चाहूंगा। पहली, भारत में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकागनिशन (माइकर) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए यंत्रीकृत चेक प्रसंस्करण प्रणाली की स्थापना की गई। यह प्रणाली सारे विश्व में मान्य की गई है और ऐसी प्रणालियों के रुप में विधिवत् स्थापित हो चुकी है और जिसकी रिजेक्शन दर लगभग 1 प्रतिशत है, जबकि मैं समझता हूं कि अंतरराष्ट्रीय दरें लगभग 2 प्रतिशत की हैं। अतः जो लोग इन प्रणालियों को चला रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं।

दूसरी, 1999 में इनफिनेट की स्थापना के बाद से आइडीआरबीटी द्वारा निर्मित प्रौद्योगिकीय बुनियादी संरचना। इसका उद्देश्य था भारी खर्चीली सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधनों में भागीदार बनाना ताकि प्रचुरताजन्य मितव्ययिता प्राप्त की जा सके। आइडीआरबीटी की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआइ) को लागू करना - जो इलेक्ट्रोनिक आधारित आंकड़ा अंतरण प्रणाली है जिसमें बहुत ऊंचे सुरक्षा स्तर हैं।

तीसरे, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली की शुरुआत। इस प्रणाली ने न केवल अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) बासल के सर्वांगी महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के लिए बुनियादी (स्थायी) सिद्धांतों के अनुपालन को पूरा किया है, बल्कि, इसने जोखिम मुक्त, जमा प्रेरित आधारवाली निधि अंतरणों को तत्काल आधार पर निपटाने तथा केंद्रीय बैंक में मुद्रा अंतरण के निपटान के लिए रास्ता भी बना दिया है। हमें अपने आरटीजीएस प्रणाली का अन्य आरटीजीएस प्रणालियों के साथ तुलना करने और अपने बोर्ड के समक्ष भुगतान निपटान प्रणाली के रुप में प्रस्तुत करने का अवसर मिला था। इस तुलना से यह उभर कर आया कि भारतीय आरटीजीएस प्रणाली जिसमें 'वाई' टोपोलॉजी का प्रयोग किया गया है, को अभीष्टतम उपयोग का माना गया और इस टोपोलॉजी का प्रयोग अन्य कई केंद्रीय बैंक भी कर रहे हैं जिन्होंने आरटीजीएस को लागू किया है। दिन के अंदर चलनिधि का हमारा दृष्टिकोण तथा संभावित ग्रिडलॉक रेसोलूशन अंतरराष्ट्रीय नमूनों का अनुसरण करता है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, बासल द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण मूल्यांकन मापदंडों की तुलना में आरटीजीएस प्रणाली के विभिन्न घटकों का मूल्यांकन यह इंगित करता है कि हम अधिकांश मापदंडों के आधार पर सर्वोत्तम हैं।

आरटीजीएस के माध्यम से अंतर्बैंक निधियों के निपटान की सुविधा देश के 500 से अधिक केंद्रों में फैली बैंकों की 23,700 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध है। जहां पुनः यह सुनिश्चित करते हुए नोट किया जाए कि भारी सकल मूल्यवाले लेनदेन आरटीजीएस प्रणाली से निपटाए जा रहे हैं जिनकी औसत दैनिक निपटान राशि 60,000 करोड़ रु. से भी ज्यादा की

* डा.या.वे.रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में 2 सितंबर 2006 को बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार समारोह 2006 में दिया गया भाषण।

होती है और भी अधिक प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किए जाने की गुंजाईश है। इस प्रयोजन के लिए उपयोगकर्ता के स्तर पर ग्राहकों की जागरुकता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता होगी। यह अनिवार्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक और बाजार के बड़े खिलाड़ी इस संबंध में मिल- जुलकर संयुक्त प्रयास करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी भारी मूल्य वाले ग्राहक भुगतान सभी वित्तीय बाजारों में जिनका सर्वांगी निहितार्थ है, आरटीजीएस के माध्यम से किए जाएं। जैसे ईक्विटी और ऋण बाजारों में किए जाने वाले भुगतान। एक बार इस प्रणाली का सहभागियों द्वारा भारी उपयोग सुनिश्चित हो जाए तो एक ऐसे प्रेरक बिंदु तक पहुंचा जा सकता है और वित्तीय विनियामकों के लिए यह संभव हो सकता है कि वित्तीय बाजारों में भारी मूल्य वाले विशिष्ट लेनदेनों के लिए आरटीजीएस को बेहतर साधन मानने लगें।

चौथे, इलैक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणालियों का निर्माण । यह आवश्यक नहीं है कि सभी निधि अंतरण तत्काल आधार पर निपटाए जाएं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि देश भर में छोटे मूल्यवाले ग्राहक लेनदेनों के लिए अन्य इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रक्रिया-तंत्र तक आदमी की पहुंच हो। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने नब्बे के बाद के दशक के मध्य इलैक्ट्रोनिक निधि अंतरणन (इएफटी) प्रणाली लागू की जिसे बाद में उन्नत करके 2003 में विशिष्ट इलैक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली (एसईएफटी) और अब उसे और उन्नत करके नवंबर 2005 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनइएफटी) बना दिया गया है।

एनइएफटी प्रणाली ने जो इएफटी प्रणाली का उन्नत रुप है, सुरक्षात्मक पहलुओं को बढ़ा दिया है तथा यह बहु दैनिक निपटानों के साथ खुदरा निधियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाता है जिससे ग्राहक निपटान के बाद दो घंटों में ही निधियां प्राप्त कर सकते हैं । आज एनइएफटी सुविधा 200 केंद्रों में फैले 32 बैंकों की 5000 से ज्यादा शाखाओं को प्राप्त है। रिज़र्व बैंक ने अपने मिशन के रुप में यह निश्चित किया है कि एनइएफटी की पहुंच का विस्तार करके इसे भुगतान प्रणाली विजन दस्तावेज में निर्धारित रुपरेखा के अनुसार बैंकों की सभी कंप्यूटरीकृत /नेटवर्क वाली शाखाओं को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाए। ऐसी योजना है कि पहले एनइएफटी सुविधाएं सभी आरटीजीएस ग्राहक समर्थिक शाखाओं का उपलब्ध कराई जाएं और इसके बाद सुविधा का विस्तार संपूर्ण देश में सभी कंप्यूटरीकृत शाखाओं तक कर दिया जाए।

अंतिम, जहां तक निधियों के अंतरण का संबंध है, एक प्रमुख पहल है - चेक ट्रंकेशन की। चेक प्रसंस्करण की दक्षता को सुधारने तथा उसमें लगने वाले समय में कटौती करने के लिए रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली शुरु करने के लिए पहल की है। एक प्रायोगिक परियोजना इस साल के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शुरु करने की जानी है।

वर्षों से भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका बाजारों की और समग्र वित्तीय प्रणाली की परिपक्वता के बढ़े हुए स्तरों के अनुरुप बदलती रही है। भविष्य में भी रिज़र्व बैंक की भूमिका 2005 में प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र के प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज में दिए गए ब्यौरे के अनुसार आए परिवर्तनों के रुप में देखने को मिलेगी। इस विजन को पूरा करने में विश्व स्तर की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की स्थापना करने की दिशा में किए जाने वाले साझा प्रयासों की महत्ता बढ़ेगी। प्रथम कदम के रुप में, रिज़र्व बैंक ने, आईडीआरबीटी के माध्यम से, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (नेशनल फाइनेंसियल स्विच) की स्थापना करने को सुविधाजनक बनाया है। जो वित्तीय क्षेत्र को ऐसी सुविधा प्रदान करती है। मैं बैंकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें। आइडीआरबीटी भी उपयोगकर्ताओं से सलाह-मशविरा करके संपूर्ण इनफिनेट संरचना को नए स्वरुप में बदल रहा है। ताकि इसे अधिक दक्ष तथा सर्वोत्तम संव्यवहारों के अनुरुप बनाया जा सके। शायद, हमारी प्रणाली की कार्यपद्धति को वैश्विक मानकों और संव्यवहारों के अनुरुप औपचारिक रुप में बेंच मार्किंग करते हुए इसे बनाना होगा तथा उसके परिणामों को पब्लिक डोमेन में डालना होगा।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकीगत चुनौतियां

1990 के बाद के दशक में सुधारों की शुरुआत से प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग की दिशा में संपूर्ण दृष्टिकोण में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या जो कोर बैंकिंग प्रणालियों (सीबीएस) की ओर बढ़ गए हैं (या अभी इस ओर बढ़ने की प्रक्रिया में हैं) इस संबंध में प्रगति के संकेतक हैं। सीबीएस की अद्वितीय विशेषता यह है कि शाखा आधारित बैंकिंग की अवधारणा बदलकर अब बैंक आधारित शाखा की हो गई है जो ग्राहक को किसी एक खास शाखा का नहीं, बल्कि इस पूरे बैंक का घटक मानती है। आज 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस प्रणाली को अपना चुके हैं और सीबीएस समर्थित शाखाओं की संख्या अब बढ़कर 14,000 से भी ज्यादा की हो गई है, जबकि एक साल पहले 14 बैंकों की 5000 सीबीएस समर्थित शाखाएं थीं। कुछ बैंक, जैसा कि बताया गया है, इस क्षेत्र में प्रारंभिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, परंतु मुझे भरोसा है कि इस प्रणाली को सभी ग्राहकों को संतुष्टि के स्तर तक स्थिर कर दिया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि सभी बैंकों में सीबीएस प्रणाली की कार्य-पद्धति की दक्षता का आकलन किया जाए और आवश्यक सुधार करने के लिए प्रयास किए जाएं।

वाणिज्यिक बैंकों को भारी स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के नियोजन से उभरनेवाली चुनौतियों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की उभरती हुई चुनौतियों से भी जूझना है। इनमें शामिल हैं - सीबीएस का प्रभाव, अधिक वैज्ञानिक जोखिम प्रबंधन, बेहतर आस्ति-देयता प्रबंध, काले धन को वैध बनाने से रोकने के उपायों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना तथा बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू किए जाने से संबंधित सुरक्षा संबंधी मुद्दे।

सूचना प्रौद्योगिकी के अनुपालन पर किसी भी चर्चा में जो एक प्रश्न उठाया जाता है वह है - इस पर आने वाली लागत। स्मार्ट कार्ड जैसे

उत्पाद जिनके लिए प्रारंभिक रुप में काफी ज्यादा पूंजी लागत की जरुरत नहीं हैं तथा जिसे व्यापक ग्राहक आधार के लिए आसानी से लागू किया जा सकता है, भविष्य की कुंजी उसके हाथ में है।

मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारकों को रेखांकित करना चाहूंगा जिन्हें, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ निपटते समय भली प्रकार सुलझाना आवश्यक है। उनमें से मुख्य है - इस प्रणाली की उपयुक्त सुरक्षा और निष्ठा को सुनिश्चित करना। सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणालियों में सुरक्षा इतनी ही प्रभावी, उतनी ही कमजोरतम कड़ी है तथा वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं और बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी में निहित सुरक्षोपाय अपने किस्म की उत्तम श्रेणी के हैं। निरंतर विकसित होनेवाली सूचना - प्रौद्योगिकी के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं स्थिर नहीं रहती तथा सुरक्षा विशेषताओं और उपायों की दक्षता की निरंतर गहन समीक्षा करते रहने वाली एक प्रणाली की स्थापना किए जाने की जरुरत है। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रसंस्कृत और संचित किए गए आंकड़ों की निष्ठा बैंकों द्वारा सभी समयों पर सुनिश्चित करनी होगी तथा पर्याप्त बैक- अप सुविधा के साथ जिसमें तत्काल, जहां तक संभव हो, उनकी पुनः प्राप्ति के लिए प्रावधान करने होंगे।

दूसरी प्रमुख अपेक्षा आपात काल में पुनर्बहाली प्रबंधन तथा फेल होने से सुरक्षित बचाने वाले कारोबारी निरंतरता योजना से संबंधित है। आज की दुनिया में, ग्राहकों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, तथा अत्यधिक आपातकाल की स्थिति में भी निर्वाध रुप से सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः बैंकिंग समुदाय को उपयुक्त आपात योजना को स्थापित करना तथा नियमित अंतरालों पर उनकी जांच करते रहना जरुरी है।

जहां रिज़र्व बैंक एक सांझी प्रणाली के अंतर्गत व्यापक संचार की बुनियादी सुविधा उपलब्ध करा रहा है, वहीं प्रत्येक बैंक का यह अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कि वह अपनी संचार नेटवर्क प्रणाली विकसित करे ताकि बैंकों के अंदर ही निधियों के आवागमन को पूर्णतः अपने ही नेटवर्क द्वारा प्रबंधित किया जा सके। यह इनफिनेट पर अत्यधिक निर्भरता से बचाएगी तथा प्रणालीगत समग्र दक्षता में सुधार लाएगी। हालांकि कुछ बैंकों ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर ली है तथापि अन्य बैंकों द्वारा इस संबंध में और प्रगति करने की गुंजाईश है।

इस प्रणाली में अनेक सहकारी बैंक भी कार्यरत हैं जो बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं और उनमें से कुछ के तो अपेक्षाकृत भारी मात्रा में परिचालन हैं। शायद, यह अनिवार्य है कि सहकारी बैंकों के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को यथोचित रुप में बढ़ाया जाए ताकि उन्हें भी वाणिज्यिक बैंकों के स्तर के और नजदीक लाया जा सके।

प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन

हम वित्तीय समावेशन की आवश्यकता को रेखांकित करते रहे हैं जिसमें जनसंख्या के उस विशाल भाग को भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शामिल है जो अब तक ऐसी सेवाओं से बाहर (वंचित) रहे हैं। जहां तक वित्तीय समावेशन की बढ़ती हुई व्याप्ति और फैलाव का संबंध है, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे प्रभावी रुप से निपटना है, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी सुविधा की कमी, अपेक्षाकृत कम मात्रा में लेनदेन, तुलनात्मक रुप से उच्चतर लेनदेन लागत, तथा अन्य कारक जैसे लक्ष्यित ग्राहकों का शैक्षिक स्तर आदि भी शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी उपर्युक्त चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक उत्तम साधन उपलब्ध कराती है। बुनियादी संरचना की कमी को विभिन्न प्रकार के नवोन्मेषी तरीकों से, निपटा जा रहा है, जो स्वयं प्रौद्योगिकी को भी सशक्त बना रहे हैं। इनमें से कुछ हैं - ऐसी कंप्यूटर प्रणालियों का उपयोग जिनके लिए निर्वाध बिजली की आपूर्ति की जरुरत नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाली नेटवर्किंग तथा अन्य अपरंपरागत पद्धतियां, प्रसंस्करण प्रणालियों का केंद्रीकरण करने से प्रसंस्करण लागत में कमी आती है, संस्था के अंदर ही विकसित ग्राहकोन्मुखी प्रणालियां जैसे निम्न लागत, बहुभाषी एटीएम प्रणाली जैसा कि आईआईटी चैन्नई द्वारा विकसित की गई है, ये सभी महत्तर वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में, मजान्सी खाते की शुरुआत के साथ वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है, यह कार्ड आधारित सीमित सेवा है, जो बचत खातों को वणिक बिक्री केंद्रों से, एटीएम से तथा यहां तक कि डाकघरों के बिक्री केंद्रों से भी जोड़ती है। फिलीपीन में कार्ड आधारित खुदरा मुद्रा आवागमन प्रणाली को बड़ी प्रशंसा मिली है। भारत में, रिज़र्व बैंक, आइडीआरबीटी के साथ मिलकर विविध अनुप्रयोगों वाले स्मार्ट कार्ड के उपयोग की प्रणालियां विकसित करने पर काम कर रहा है, जो बैंक खाते के रुप में कार्य करता है तथा जो इलैक्ट्रोनिक नकदी के स्टोर के रुप में भी काम करता है जो कार्डधारक से संबंधित अनिवार्य सूचना के लिए आंकड़ा भंडार के रुप में कार्य करता है, जिसमें सुरक्षा की विशेषताएं अंतः निर्मित हैं। जैसे बायोमेट्रिक पहचान, तथा जो हकदार पहचानकर्ता या एक सामाजिक सुरक्षा कार्ड के रुप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

नाबार्ड की रिपोर्ट से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आंध्र प्रदेश में विशाखा ग्रामीण बैंक के साथ स्मार्ट कार्ड पर प्रौद्योगिक परियोजना पहले से ही शुरु कर दी गई है, यह बैंक स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण में अग्रणी बैंकों में से एक है। यह आशा की जाती है कि ग्रामोन्मुखी प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाकर बैंक ग्रामीण ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं में मूल्यवर्धन कर सकेंगे तथा अपनी पहुंच को निरंतर वहनीय रुप में बढ़ा सकेंगे। बैंक स्मार्ट कार्डों का प्रयोग 'नो फ्रिल्स' खातों के लिए भी करने की व्यवहार्यता पर विचार करें ताकि वे बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में सहायता कर सकें तथा अत्यधिक जरुरी निम्न लागत वाली जमाराशियों को प्राप्त करने में मदद कर सकें। पुनः यहां भी, सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधनों का मिलकर उपयोग करने का दृष्टिकोण स्वयं इसकी मांग करेगा।

प्रौद्योगिकी और सरकारी क्षेत्र

यह उपयुक्त होगा कि सरकारी कारोबार पर भी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के कुछ पहलुओं को रेखांकित किया जाए क्योंकि रिज़र्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों का भी बैंकर है, यदि हम राज्यों की प्रौद्योगिकीगत पहलों को देखें तो हम पाएंगे कि सभी राज्यों के बीच प्रौद्योगिकी को खपाने में भारी विविधता है। जहां आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य आम तौर पर इ-गवर्नेंस में अन्य राज्यों से आगे हैं जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तरपूर्वी राज्यों में इसके प्रयोग की शुरुआत हो रही है। जहां तक केंद्र सरकार की प्राप्तियों का संबंध है, सरकार की कर-उगाही प्रक्रिया का प्रत्यक्ष करों के लिए ऑनलाइन टेक्स एकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) की शुरुआत होने से रूपांतरण हो गया है। ओएलटास की सफलता से उत्साहित होकर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ईजीऐस्ट (इलैक्ट्रोनिक एकांउटिंग सिस्टम इन एक्साइज एवं सर्विस टैक्स) परियोजना लागू की है, जिसमें एक व्यापक ई-भुगतान माड्यूल की परिकल्पना की गई है जो बैंकों के कंपनी ग्राहकों द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रयोग परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है। उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर आधारित इलैक्ट्रोनिक चालानों की सरकार द्वारा स्वीकृति इस प्रक्रिया को करदाता के अनुकूल बना देगी। इससे कागजी काम काफी कम हो जाएगा और सीधे प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करेगा तथा यह समाधान प्रक्रिया या गलत डाटा प्रविष्टि आदि से उठनेवाली त्रुटियों को समाप्त कर देगी।

इस क्षेत्र में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई एक दूसरी पहल है - सारे देश में राज्य ट्रेजरीज (कोषागारों) का कंप्यूटरीकरण। विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अब 3022 राज्य कोषागारों, एजेंसी बैंकों तथा राज्य सरकारों के वित्त विभागों, महा लेखापाल के कार्यालय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच इलैक्ट्रोनिक संपर्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह राज्य सरकार के विभागों की प्राप्तियों और भुगतानों की तेजी से लेखांकन में मदद करेगी साथ ही यह इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न लेख, एजेंसियों के बीच एक छोर से दूसरे छोर तक संपर्क स्थापित करने का भी काम करेगी।

इस संदर्भ में यह नोट करने की जरुरत है कि जहां बैंकिंग प्रणाली में अधुनातम प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक आस्ति है, वहीं यह परंपरागत बैंकरों तथा सरकारी लेखापालों को इसमें लेखांकन प्रक्रियाओं में आई गति और जटिलता के कारण चुनौतियां भी खड़ी कर रही है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार के एजेंट के रुप में किए गए सभी लेनदेन एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित हैं और किसी भी समय उनकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती है। इसका एक सफल उदाहरण है विदेश व्यापार महा निदेशालय की इलैक्ट्रोनिक आयात लाइसेंस प्रणाली जिसकी बैंकों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के साथ इलैक्ट्रोनिक भुगतान सुविधा समेकित है।

मैं इस अवसर पर यह उल्लेख करना चाहूंगा राज्य वित्त सचिवों की हाल ही में हुई कांफ्रेंस में अनेक वित्त सचिवों ने ये विचार व्यक्त किए कि सरकारी कारोबार संभालने वाले कुछ बैंकों द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रौद्योगिकी आधार तथा सेवाओं को काफी सुधारने की जरुरत है। संबंध - बैंकिंग जिसमें सामाजिक उद्देश्य के साथ उधार देना तथा सरकार के बैंकर के रुप में परिचालन करना दोनों आते हैं - मूल्यवान है, परंतु यदि सरकारी लेनदेन करने की गुणवत्ता उच्चकोटि की नहीं है तो हो सकता है कुछ बैंक वर्तमान स्तर पर अपने सरकारी कारोबार को बनाए न रख सकें। अतः इस दिशा में राज्यों और उनके संबंधित बैंकों द्वारा संयुक्त प्रयास करने होंगे।

प्रौद्योगिकी और बाजार

वित्तीय बाजारों की दक्षता को सुधारने में प्रौद्योगिकी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वार्तातय लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) भली भांति कार्य कर रही है। आदेश मिलान (एनडीएस-ओएम) ने बेहतर मूल्य की खोज, व्यापार में पारदर्शिता, नीलामियों में रिपोर्टिंग और इलैक्ट्रोनिक रुप में बोली लगाने में और भी सहायता की है। फरवरी 2002 से लागू किए जाने से लेकर एनडीएस ने सदस्य बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को सरकारी प्रतिभूतियों में स्क्रीन आधारित प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है जिसमें बिना नाम बताए ऑनलाइन डील करने की सुविधा प्रदान की जाती है और इस प्रकार अधिक दक्षतापूर्वक मूल्य खोज का अनुभव किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में लेनदेन की रिपोर्टिंग भारतीय समाशोधन निगम लि.को करनी होती है, जो प्रतिभूतियों के लिए सकल रुप में तथा निधियों के लिए निवल रुप में निपटान करता है। दिन के अंत में, निपटान संबंधी सूचना रिज़र्व बैंक को अपनी बहियों में उसकी प्रविष्टि करने के लिए भेज दी जाती है। भारतीय समाशोधन निगम लि. प्रतिभूतियों तथा निधियों की सुपुर्दगी की गारंटी देकर लेनदेनों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष के रुप में भी कार्य करता है।

हम एनडीएस निपटानों को आरटीजीएस के साथ पूर्णतः समन्वित करने की प्रक्रिया में हैं। कंपनी बांड मार्केट की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए कंपनी- बांड तथा प्रतिभूतीकरण पर एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : डॉ. आर.एच.पाटिल) ने व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली, ट्रेडिंग प्लेटफार्मों, नीलामी प्लेटफोर्म तथा समाशोधन और निपटान प्रणालियां स्थापित करके कंपनी बांड बाजार को पुनः सशक्त बनाने के लिए अनेक उपायों की सिफारिशें की हैं। कंपनी बांडों के लिए सुझाई गई ट्रेड रिपोर्टिंग प्रणालियां अमरीका में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स (एनएएसडी) की ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कम्प्लायेंस इंजन (ट्रेश) की तर्ज पर हैं। इस प्रकार ऑनलाइन रीयल टाइम आंकड़ा प्रसारण सहभागियों को दक्ष व्यापार निर्णय लेने में सहायता करेगा और साथ ही, विनियामकों को बाजार की प्रवृत्ति पर सूचना प्राप्त करने और उसकी निगरानी करने में समर्थ बनाएगा। इन सिफारिशों पर संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी लगाने का मूल उद्देश्य क्रमिक रुप से कागज आधारित लेनदेनों जिसमें करेंसी नोटों, चेकों, चालानों का प्रयोग भी शामिल है, से हटना होना चाहिए। और जहां तक संभव हो सके आरटीजीएस या एनईएफटी का या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक पद्धति के उपयोग की ओर बढ़ना होना चाहिए।

यह सौभाग्य की बात है कि आज हम बैंकिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राह को छोड़कर बढ़ने वाले बहुमूल्य योगदानों को स्वीकार कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नेतृत्व करने वालों की खोज और प्रौद्योगिकी पुरस्कार के रुप में उनको मान्यता देना इस बात का प्रमाण है कि हम अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ हैं। आज के पुरस्कार अपने आप में लक्ष्य या मंजिल पाना नहीं हैं, बल्कि एक प्रौद्योगिकीय रुप से उन्नत तथा दक्ष, प्रभावी, प्रगतिगामी और वित्तीय प्रणाली के साथ आगे आनेवाली अधिक उत्साहवर्धक और चुनौतीपूर्ण युग की ओर हमारे बढ़ने की एक अच्छी शुरुआत के संकेत मात्र हैं।